न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/318

1. मैसर्स बुद्धगिरी एंटरप्राईजेज द्वारा प्रोपराईटर गुलजारी लाल सोनी पुत्र स्व. श्री जुगलकिशोर सोनी, किलोमीटर स्टोन 163 के पास, खसरा नम्बर 763/1065 जयपुर दिल्ली रोड़ ग्राम कंवरपुरा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, कलक्ट्रेट परिसर बनीपार्क जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर दक्षिण एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट परिसर बनीपार्क जयपुर।
3. श्रीमती कमला वत्स पत्नी स्व. श्री ज्ञानचन्द शर्मा, निवासी मकान नम्बर 141, भगवाती नगर प्रथम करतारपुरा, जयपुर।
4. डीजीएम (रिटेल सैल्स) आई.ओ.सी.एल.जयपुर डिवीजनल ऑफिस प्रथम तल एल.आई.सी. इनवेस्टमेन्ट बिल्डिंग फेस—2 अम्बेड़कर सर्किल के पास भवानी सिंह रोड़ जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री जी.पी.शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से**
3. **श्री मनीष शर्मा, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3, की ओर से,**
4. **श्री शाश्वत शर्मा, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के अधिवक्ता की ओर से।**

निर्णय

दिनांकः 02.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 से असंतुष्ट होकर धारा 154 पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.33(32)ज्यूडिशियल/ग्रुप—2/93/3261 दिनांक 24.10.1994 द्वारा मैसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर को पेट्रोलियम नियम 1976 के नियम 144 के अन्तर्गत 20 के.ली.एचएसडी पेट्रोलियम क्लास ''बी'' के स्टोरेज हेतु ग्राम कंवरपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, को पेट्रोलियम नियम 2002 के नियम संख्या 150 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित है क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रकरण में विचार नही किया गया है, यदि नोटिस के जवाब में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाता तो जिला मजिस्ट्रेट को इन न्यायिक आदेशों की जानकानी अवश्य होती कि लीज अवधि की समाप्ति के सम्बन्ध में

P.T.O.

दीवानी न्यायालय में पक्षकारान के मध्य वाद लम्बित है जिसमें गुलजारी लाल सोनी ने लीज शर्तो के मुताबिक 20 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रत्येंक 5 वर्ष की अवधि के लिये लीज का नवीनीकरण कर पंजीयन करवाये जाने के लिये वाद बाबत विशिष्ठ अनुपालना प्रस्तुत कर रखा है जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2015 को निषेधाज्ञा जारी की हुयी है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विवादित स्थल से जबरन बेदखल नही करें, इस प्रकार श्रीमती कमला वत्स ने गुलजारी लाल सोनी के विरूद्ध वाद बाबत दिलाये जाने कब्जा व हर्जा इस्तेमाली दायर कर रखा है जो वास्ते निर्णय दीवानी न्यायालय में लंबित है तथा पक्षकारों के मध्य लंबित विवाद से यह स्थिति स्पष्ट है कि अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि में पेट्रोल पंप चलाने का अधिकार समाप्त नही हुआ है बल्कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में निष्पादित लीजडीड दिनांक 31.08.1994, दिनांक 30.08.2014 को समाप्त होना एवं नवीनीकरण नही किये जाने से पेट्रोल पंप चलाने का अधिकार समाप्त होना अवगत कराते हुए प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्बन्ध अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 03.08.2015 के आदेश द्वारा लाईसेन्स संख्या 178 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थी ने उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत खण्ड 20 राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद(अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 प्रस्तुत की जिसे पक्षकारान को सुनने के उपरांत अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इंडियन पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 151 व 153 के प्रावधान पर विचार करने के उपरान्त आदेश दिनांक 02.12.2015 से अपील को स्वीकार किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने उक्त आदेश दिनांक 02.12.2015 में निगरानी याचिका न्यायालय खाद्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 25.01.2016 के द्वारा निरस्त फरमा दी गई जिसमें यह स्पष्ट रूप से मत व्यक्त किया गया कि लीज डीड सम्बन्धि मामले दीवानी प्रकृति के होते है जिनके सम्बन्ध में माननीय दीवानी न्यायालय को विधिक रूप से क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, प्रस्तुत याचिका में यह प्रतीत होता है कि बिक्री व भण्डारण से बिना किस विधि के अतार्किक रूप से जोड़ा जा रहा है जबकि पेट्रोल डीजल क्रय–विक्रये से सम्बन्धित लाईसेन्स एक विशिष्ट अधिनियम अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थ अनुज्ञा एवं नियंत्रण आदेश 1990 के प्रावधान के तहत जारी किया जाता है और इस आदेश से ऐसा कोई प्रावधान होना प्रतीत नही होता है जिससे लाईसेन्स जारी करने हेतु किसी लीज डीड आदि पर विचार किया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने उपरोक्त आदेश दिनांक 25.01.2016, 02.12.2015 व 03.08.2015 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1764/2016 उनवानी श्रीमती कमला बनाम जिला कलक्टर व अन्य प्रस्तुत की जिसमें उक्त रेस्पोडेन्ट

संख्या 3 कमला वत्स ने पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 151 व 153 एवं श्रीमान् के समक्ष पेट्रोलियम स्टोरेज के सम्बन्ध में जारी एन.ओ.सी. दिनांक 24.10.1994 एवं लाईसेन्स संख्या 178 के सम्बन्ध मे आपत्तियाँ ली गई, उक्त रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय ने बिना वादग्रस्त आदेशों में हस्तक्षेप किये इस निर्देश के साथ फैसल कर दी कि याचिका श्रीमती कमला वत्स के द्वारा प्रस्तुत शिकायत बिना आदेशों से प्रभावित हुये चार माह में निस्तारित कर दी एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा भी उक्त आदेश की पालना में अपने निर्णय दिनांक 07.09.2016 के द्वारा श्रीमती कमला वत्स के द्वारा प्रस्तुत शिकायत निर्णित कर दी गई एवं इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर जयपुर, खाद्य आयुक्त द्वारा पारित किये गये निर्णय अंतिम निर्णय होकर प्रकरण में निर्णित बिन्दुओं के सम्बन्ध में रेस ज्यूडिसकेटा का प्रभाव रखते है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 कमला वत्स डाक्टराईन ऑफ एस्टोपल के सिद्धान्त से पुनः निर्णय करवाये जाने से बाध्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 144 में जारी की गई, उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिये लीज लिये जाने के लिये लीज के दस्तावेज को प्रस्तुत कर उस पर विचार किये जाने की आवश्यकता हो ऐसा प्रावधान में उल्लेखित नही है एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिये कोई समयावधि भी प्रावधानों में निश्चित नही है। इस प्रकार विवादित आदेश जो लीज से अतार्किक रूप से जोड़कर पारित किया गया है, कानून सम्मत नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित आदेश पेट्रोलियम एक्ट 2002 की धारा 150 का प्रसंज्ञान लेकर पारित किया गया जो प्रावधान पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 153(1) के समान है जिन पर पूर्व में जिला कलक्टर जयपुर, खाद्य आयुक्त माननीय उच्च न्यायालय एवं उसके पश्चात् पुनः जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2016 में उपरोक्त प्रावधानों का अवलंबन लेकर प्रत्यथी संख्या 3 का प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त करने लाईसेन्स खारिज कर दिया जो अंतिम निर्णय होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है उसके उपरान्त भी उपरोक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने पुनः एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिस पर बिना अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये विवादित आदेश दिनांक 14.06.2022 पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि धारा 150 पेट्रोलियम एक्ट 2002 में भी यह प्रावधान है कि बिना सुनवाई का अवसर दिये अनापत्ति प्रमाण पत्र खारिज नही किया जा सकता, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया बल्कि केवल नोटिस प्रेषित कर लिखित में जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 17.05.2022 को अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर को जवाब प्रस्तुत कर दिया परन्तु बिना जवाब व जवाब के संलग्न दस्तावेजात पर विचार किये विधिक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

राय लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जो वर्ष 1994 मे जारी किया गया था, को निरस्त फरमा दिया जिसके कारण संचालित पेट्रोल पंप के संचालन मे विध्न उत्पन्न हुआ है। उन्होने आगे कथन किया है कि जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित विवादित आदेश इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि लीज डीड की शर्त संख्या 9 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को लीज डीड का पंजीयन करवाने का अधिकार प्राप्त है और अपीलार्थी का पेट्रोल पंप चलाने का अधिकार समाप्त नही होता है। इस प्रकार विवादित आदेश धारा 150 के प्रावधानों के घोर विरोधी होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त प्रावधान के सम्बन्ध में पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा लाईसेन्स निरस्त किये जाने से सम्बन्धित की गई समस्त कार्यवाही में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया गया था कि अपीलार्थी का पेट्रोल पंप चलाने का अधिकार समाप्त नही होता है और लाईसेन्स के लिये जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि का लीज से कोई सम्बन्ध नही है, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा आतार्किक रूप से लीज के विवाद को लाईसेन्स व एनओसी से जोड़कर पेट्रोल पंप संचालन में अवरोध उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किये गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 दीवानी न्यायालय से जारी निषेधाज्ञा से पाबन्द है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के द्वारा नोटिस दिनांक 11.05.2022 जारी किया और उक्त नोटिस के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.05.2022 का जवाब एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी आई.ओ.सी. का डीलर है और पेट्रोल पंप संचालित कर रहा है और अनापत्ति जारी करने के लिये प्रार्थना पत्र भी अपीलार्थी द्वारा ही वर्ष 1994 में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कार्यवाही की जाकर जिला कलक्टर द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट मंगवायी गयी जिसमें यह स्पष्ट है कि गुलजारी लाल सोनी द्वारा पेट्रोलयम स्टोरेज हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया इस प्रकार विवादित आदेश से अपीलार्थी पीड़ित व्यक्ति है जिसकी आजीविका विपरित रूप से प्रभावित हो रही है। अतः अपील एवं लिखित बहस के समस्त तथ्यों को मद्देनजर अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 अपास्त फरीमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त करने एनओसी मय भारी हर्जे-खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन को भण्डारण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24.10.1994 को जारी किया गया था तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजात पर विधि सम्मत विवेचन करते हुए ही एंव अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपना पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजात पर विधि सम्मत विवेचन करने हुऐ मैसर्स इण्डियन ऑयल

कारपोरेशन के हक में जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24.10.1994 को निरस्त किया गया जो आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा अपीलार्थी के हक में ना तो किसी प्रकार का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है बल्कि जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24.10.1994 को जारी किया गया हैं। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के हक में जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किये गये आदेश दिनांक 14.06.2022 के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता अपीलार्थी को विधि में प्राप्त नही होने के कारण अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकारिता के अभाव में सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णित मुकदमों के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर न्यायालय श्रीमान् को गुमराह करने के आशय ये गलत तरीक से विवेचन अपील के संक्षेप विवरण में किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अपने स्वामित्व की कृषि भूमि जो ग्राम कंवरपुरा तहसील कोटपूतली में स्थित है को लीजडीड दिनांक 31.08.1994 के तहत 20 वर्ष की अवधि के लिये अर्थात दिनांक 31.08.2014 तक की अवधि के लिये श्री गुलजारी लाल सोनी के हक में निष्पादित की गई थी जिसकी लीज अवधि दिनांक 31.08.2014 को समाप्त हो चुकी है तथा उसके पश्चात् से लेकर आज दिनांक तक उक्त लीज डीड दिनांक 31.08.1994 को ना तो आगे बढ़ाई गई है एवं ना ही नवीन लीज डीड रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं श्री गुलजारी लाल सोनी या अपीलार्थी के मध्य निष्पादित की गई तथा उपरोक्त लीजशुदा जमीन पर विवाद उत्पन्न होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने सक्षम दीवानी न्यायालय मे गुलजारी लाल सोनी के विरूद्ध बेदखली का दावा प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि धारा 144, 150 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त की गई जो विधि सम्मत है क्योंकि धारा 144 पेट्रोलियम नियम 2002 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "जिला प्राधिकारी को इस आशय के प्रमाण के लिये आवेदन के साथ अनुज्ञापन के लिये प्रस्थापित परिसर की स्थिति को दर्शाने वाले स्थल करेगा कि आवेदक प्रस्तावित परिसर के लिऐ अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उन्हे कोई आपत्ति नही है, नक्शे की दो प्रतियॉ भेजी जायेगी और जिला प्राधिकारी यदि उसे कोई आपत्ति नही है तो आवेदक को ऐसा प्रमाण पत्र मंजूर कर सकती है।" किन्तु हस्तगत प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व श्री गुलजारी लाल सोनी के मध्य निष्पादित लीज डीड दिनांक 31.08.1994 जो दिनांक 31.08.2014 को समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को विधि में

P.T.O.

यह कतई अधिकार प्राप्त नही है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के स्वामित्व की भूमि को अपनी लीजशुदा सम्पत्ति बताते हुये उसका साईट प्लाट पेट्रोलियम के भंडारण हेतु अविधिक तरीके से उपर्युक्त साईट प्लान को वैद्य बता प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन से पेट्रोल/एचएसडी पम्प की डीलरशीप प्राप्त की हुई है जबकि पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो) द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु लाईसेन्स नम्बर पी/एनसी/आरजे/14/2910 मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के हक में जारी किया गया था जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2015 तक थी जिसको रिन्यू करवाने का एकमात्र अधिकारी मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को था किन्तु अपीलार्थी ने मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के साथ मिलीभगत करते हुये अपीलार्थी द्वारा दायर सिविल दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी मैसर्स बुद्धगिरी इन्टरप्राईजेज बनाम श्रीमती कमला वत्स व अन्य में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) कोटपूतली द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 204/14 में दिनांक 12.03.2015 को आदेश पारित किये गये है कि ''परिणामतः प्रार्थी(अपीलार्थी) का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 (मिन अप्रार्थी संख्या 3) को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरन प्रार्थी(अपीलार्थी) को विवादित स्थल से बेदखल नही करें।'' जिससे स्पष्ट है कि दीवानी न्यायालय द्वारा भी आज दिनांक तक उक्त लीज डीड की अवधि नही बढाई गई है उसके बावजूद भी अपीलार्थी ने मैसर्स इण्डियन ऑयल कारोरेशन के साथ मिलीभगत, साठगांठ एवं षडयंत्र रचते हुये न्यायालय द्वारा पारित आदेश की गलत तरीके से विवेचना करते हुये एवं मिथ्या शपथ पत्र मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के माध्यम से पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के समक्ष लाईसेन्स नवीनीकरण/रिन्यू करने हेतु आवेदन कर दिनांक 31.12.2020 तक रिन्यू करवा लिये गया जिसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2015 एवं लीज डीड दिनांक 31.08.2014 को समाप्त हो जाने एवं उसके पश्चात् कोई नवीन लीज डीड या नवीनीकरण नही किया गया के समस्त वास्तविक तथ्य एवं अपीलार्थी व मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा आपसी साज करते हुये मिथ्या दस्तावेजात पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के समक्ष प्रस्तुत करने पर (पैसो) के समक्ष समस्त वास्तविक तथ्य आने पर पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के हक में जारी लाईसेन्स नम्बर पी/एनसी/आरजे/14/2910(पी197289) को आदेश दिनांक 07.02.2019 के तहत निलम्बित किया गया जिसके पश्चात् से आज दिनांक तक बहाल नही किया गया है एवं उक्त आदेश दिनांक 07.02.2019 के विरूद्व मुख्य विस्फोटक नियंत्रण नागपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर द्वारा अपीलार्थी की अपील को यह कहते हुऐ खारिज फरमाया है कि अपीलार्थी को पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा ना तो लाईसेन्स जारी किया गया एवं ना ही

P.T.O.

अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.02.2019 के सम्बन्ध में अपील करने का अधिकार है जिस पर अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एक सिविल रिट याचिका संख्या 8524/2019 प्रस्तुत की जो विचाराधीन है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित न्यायिक दृष्टान्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि भूमि का उपयोग विधिक रूप से समाप्त होने पर पेट्रोलियम रूल्स 2002 के नियम 150(1) के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने में कोई अवरोध नही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के हक में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को पेट्रोलियम नियम 2002 के नियम संख्या 144,150 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ निरस्त की गई जो विधि सम्मत होने से एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के उक्त आदेश दिनांक 14.06.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता अपीलार्थी को नही होने से अपील सरसरी तौर पर ही खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा उन्होने प्रकरण में किसी प्रकार के तर्क नही कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित होने वाले आदेश की पालना हेतु आश्वत किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यदपि जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के पक्ष में दिनांक 24.10.1994 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा अपीलार्थी को नोटिस दिये गये है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त नोटिस का जवाब इत्यादि प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की प्रकरण में प्रथम दृष्टया लोकस स्टेण्डाई मानते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित होगा। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के स्वामित्व व अधिकार की भूमि है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अपीलार्थी संस्थान के प्रोपराईटर गुलजारी लाल सोनी को भूमि की लीज डीड दिनांक 31.08.1994 के तहत 20 वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित की गई तथा उक्त लीज डीड के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को उक्त वादग्रस्त आराजी पर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण एवं संवर्धन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24.10.1994 को जारी किया गया है। अब चूँकि उक्त वादग्रस्त आराजी की लीज डीड की 20 वर्ष की अवधि दिनांक 31.08.2014 को समाप्त हो चुकी है तथा उक्त लीज डीड की अवधि को रिन्यू करवाने/वादग्रस्त भूमि से बेदखली बाबत अपीलार्थी संस्था के प्रापराईटर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के मध्य सिविल न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर कर वर्तमान में भी विचाराधीन है। अपीलार्थी द्वारा

P.T.O.

अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे पक्षकारान के मध्य निष्पादित उक्त लीज डीड को दिनांक 31.08.2014 के पश्चात् की अवधि के लिये रिन्यू किया गया हो या बढ़ाया गया प्रतीत होता हो। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसा कोई आदेश जारी नही किया गया है जिसमें लीज डीड को बढ़ाया गया होना माना गया हो तथा पेट्रोलियम नियम 2002 की धारा 150 Cancellation of no objection certificate: (1) में भी प्रावधित है कि A no objection certificate granted under rule 144 shall be liable to be cancelled by the District Authority of the state Government. **if the district Authority or the state Government is satisfied, that the licensee has ceased to have any right to use the site for storing petroleum.** ऐसे में चुँकि अब उक्त वादग्रस्त भूमि का उपयोग विधिक रूप से दिनांक 31.08.2014 को समाप्त ही हो चुका हैं और जब लाईसेन्सी के पक्ष में भूमि को काम में लेने के कोई विधिक अधिकार नही रहा है तो उक्त लीज डीड के आधार पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को जारी रखने के कोई ठोस कारण अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट जयपुर के समक्ष उपलब्ध ही नही रहे है और वैसे भी अनापत्ति प्रमाण पत्र इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के पक्ष में जारी की गई थी एवं इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्तीकरण पर कोई एतराज प्रस्तुत नही गया है। अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के हक में जारी अनापत्ति प्रमाण को पेट्रोलियम रूल्स 2002 के नियम 150(1) के तहत निरस्त करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही रहा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

02/01/2023
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।